

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर ए एम

राजस्व आवेदन संख्या

134 / 2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

- 1 मानाराम पुत्र घन्नाराम उम्र 52 वर्ष
- 2 राजूराम पुत्र घन्नाराम उम्र 32 वर्ष
- 3 रूपाशराम पुत्र घन्नाराम उम्र 46 वर्ष
- 4 गोपाराम पुत्र घन्नाराम उम्र 25 वर्ष
- 5 सुजाशराम पुत्र घन्नाराम उम्र 34 वर्ष
- 6 झमूदेवी पत्नि घन्नाराम (फौत के कागम मुकाम वा जातिगान भील निवासी धूडिया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

- 1 श्रीकृष्णगण पुत्र गान्धारगण उम्र 35 वर्ष
- 2 देवशरण पुत्र गान्धारगण उम्र 27 वर्ष
- 3 भद्रशरण पुत्र गान्धारगण उम्र 42 वर्ष
- 4 हरिशरण पुत्र गान्धारगण उम्र 54 वर्ष
- 5 झमूदेवी पत्नि गान्धारगण उम्र 70 वर्ष
- 6 अन्ताराम पुत्र सोनारगण उम्र 70 वर्ष जातिगान भील निवासी धूडिया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
- 7 तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं 1 से 06 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं 07 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक - 11/01/2024

सक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण श्री भंवरलाल सारण द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सभावना है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 836/596 रकबा 0.0485 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 837/596 रकबा 1.0437 हैक्टयर कुल रकबा 1.0922 हैक्टयर मौजा धूडिया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जूना मोठा खेडा तहसील सिणधरी का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की पैतृक सम्पत्ती है तथा वक्त सेटलमेन्ट उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज होकर उनकी फौतगी उपरान्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/18-1/18 हिस्सा है जो प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा



है तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/15-1/15 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काशत करते आ रहे है, तथा अपनी रहवासी ढाणिया, चारबाडे, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के बीच में विभाजन को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाडा होने से प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगडा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काशत में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है तथा सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमामादा है। कि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6, प्रार्थीगण के कब्जा काशत की भूमि में टांके आवास निर्माण कार्य करने हेतु आमामादा है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी नकदी में मुल्याकन करना सम्भव नहीं है। जिससे विवाद बढने की सम्भावना है तथा पक्षकारान के मध्य वाद-प्रतिवाद बढने से भारी आर्थिक क्षति होगी। इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, वर्तमान में भूमि की कीमतों की भूमि में वृद्धि होने के कारण विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 वादग्रस्त भूमि का बेचान अजनबी क्रेता को करने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईच पर समान हक व हिस्सा होता है, इसलिए विभाजन से पूर्व विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जा-काशत की भूमि का बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 संयुक्त भूमि का भूमि उपजाऊपन व किस्म के अनुसार बंटवाडा न करवाकर स्वयं अच्छी किस्म की भूमि रखना चाहते है इसलिये प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काशत की भूमि में मौखिक बटवाडे अनुसार कायम सेढे को तोड़कर प्रार्थीगण को उसके कब्जे काशत से बेदखल करने पर आमामादा है तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 मौके की स्थिति भारी रद्दोबदल करने पर आमामादा है। यदि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने प्रार्थीगण द्वारा अपनी वर्षों की मेहनत से उपजाऊ बनाई गई भूमि बेचान कर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर का खेत खसरा संख्या 836/596 रकबा 0.0485 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 837/596 रकबा 1.0437 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0922 हैक्टेयर मौजा धूड़िया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जूना मीठा खेडा तहसील सिणधरी भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काशत में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करें तथा न ही प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश करें तथा न ही भूमि का बेचान करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें तथा वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की सामलाती कब्जे काशत की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण खातेदारी की घोषणा करवाने में पारिवारिक समझौता के आधार पर निर्धारण की होने से

जाना है। जहाँ प्रार्थीगण रिकार्ड खोतेदार है तथा सलंगन दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौरान विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से वेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है तो प्रार्थीगण को क्षति होगी की संभावना बढ़ती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे खेत खसरा संख्या 836/596 रकबा 0.0485 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 837/596 रकबा 1.0437 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0922 हैक्टेयर मौजा धूड़िया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जूना मीठा खेडा तहसील सिणधरी में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी